भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 489

29 नबंवर 2024, को उत्तरार्थ

विषय: स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन का वितरण

489. श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि किसानों को किराये पर देने के लिए प्रस्तावित 15,000 ड्रोन में से 500 ड्रोन महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को पहले की वितरित किए जा चुके हैं;

(ख) आंध्र प्रदेश में ड्रोन प्राप्त करने वाले महिला स्वयं सहायता समूहों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या शेष 14,500 ड्रोन वर्तमान वर्ष और 2025-26 में प्रदान किए जाने वाले हैं;

(घ) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश में ऐसे महिला स्वयं सहायता समूहों की संख्या कितनी है जिन्हें ड्रोन प्राप्त होंगे;

(ङ) ड्रोन के संचालन और रखरखाव के लिए सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है; और

(च) ड्रोन सहायक के बारे में ब्यौरा क्या है और वे ड्रोन दीदियों की किस प्रकास सहायता करेंगे?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (च): सरकार ने 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में 'नमो ड्रोन दीदी' को मंजूरी दी है। इस योजना का लक्ष्य 15000 चयनित महिला एसएचजी को ड्रोन प्रदान करना है। योजना के तहत आपूर्ति किए जाने वाले लक्षित कुल 15,000 ड्रोन में से, प्रमुख उर्वरक कंपनियों (एलएफसी) ने अपने आंतरिक संसाधनों का उपयोग करके 2023-24 में पहले 500 ड्रोन खरीदे हैं और चयनित एसएचजी को वितरित

किए हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश राज्य के एसएचजी को आपूर्ति किए गए 96 ड्रोन शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पहले चरण में 3090 एसएचजी को ड्रोन वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 90 एसएचजी आंध्र प्रदेश राज्य से हैं। राज्य स्तर पर समिति, जिसमें राज्य के कृषि/कृषि अभियांत्रिकी विभाग, ग्रामीण विकास, डीएवाई-एनआरएलएम के राज्य मिशन निदेशालय, राज्य सहकारी विभाग, अग्रणी बैंक/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राज्य के लिए नामित प्रमुख उर्वरक कंपनी के प्रतिनिधि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)/राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू)/कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) के सदस्य शामिल हैं, ड्रोन उपयोग के लिए उपयुक्त समूहों का चयन, ड्रोन प्रदान करने के लिए पहचाने गए समूहों में राज्यों में डीएवाई-एनआरएलएम के तहत प्रगतिशील महिला एसएचजी का चयन, ड्रोन पायलट और ड्रोन सहायक प्रशिक्षण के लिए महिला एसएचजी के सदस्यों का चयन, जिलेवार ड्रोन उपयोग का आकलन, मौजूदा अंतर की पहचान, ड्रोन उपयोग की उपलब्धता और भविष्य की आवश्यकताएं, एलएफसी और कीटनाशक कंपनियों के समन्वय में चयनित महिला एसएचजी को व्यवसाय प्रदान करना/सुनिश्चित करना आदि के लिए जिम्मेदार है।

ड्रोन पैकेज में स्वयं सहायता समूह के एक सदस्य को नागरिक उड्डयन महानिदेशक (डीजीसीए) द्वारा मान्यता प्राप्त रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन (आरपीटीओ) में पंद्रह दिनों के लिए प्रशिक्षण भी शामिल है। इस प्रशिक्षण में ड्रोन उड़ाना, ड्रोन नियमों के प्रावधानों को समझना, पोषक तत्व और कीटनाशक के उपयोग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी), कृषि उद्देश्य के लिए ड्रोन उड़ाने का अभ्यास और ड्रोन की मामूली मरम्मत और रखरखाव शामिल है। कृषि उद्देश्य के लिए प्रशिक्षण ड्रोन निर्माताओं, केंद्रीय/राज्य संस्थानों जैसे कि एसएयू, केवीके, आईसीएआर संस्थानों आदि के विशेषज्ञों से मिलकर बनी एक टीम द्वारा आयोजित किया जाएगा।

चयनित एसएचजी के अन्य सदस्य/परिवार के सदस्य जो बिजली के सामान की मरम्मत, फिटिंग और यांत्रिक कार्यों में रुचि रखते हैं, उन्हें राज्य स्तरीय समिति द्वारा चुना जाएगा, जिन्हें ड्रोन सहायक के रूप में 5 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा और वे ड्रोन के संचालन के लिए छोटी-मोटी देखभाल सहित समग्र तैयारी में ड्रोन दीदी की सहायता करेंगे। हालाँकि, ड्रोन सहायक ड्रोन उड़ाने के लिए पात्र नहीं होगा।

*****